भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़160030
दिनांक 28.05.2013

फाईल नम्बर:-9-HPB690/2011-CHA

सेवा में,

प्रधान सचिव ,
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला ।

विषय:- Diversion of 4.7564 hectares of forest land in favour of M/s Ramesh Hydro Power (P) Ltd. for the construction of 24 MW Selti-Masrang Hydro Electric Project within the jurisdiction of Sarahan Wildlife Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh

संदर्भ: नोडल आफिसर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA), हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र सख्या Ft. 48-2071/2012 (FCA) दिनांक 01.09.2011 & 18.05.2013

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित संदर्भांकित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विषय के लिये अनुमति मांगी गई है ।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 4.7564 हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार चालीस वृक्षों से अधिक नही होगी ।
iii. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF -27 Katgoan में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये 27,93,408/- (सत्ताईस लाख तरानवे हजार चार सौ आठ मात्र) की राशि से कुल 9.5128 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा । प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
iv The total cost of the CAT Plan would be deposited by the User Agency in the Ad-hoc CAMPA account as directed vide this office of even number dated 13.03.2012 in equal yearly instalments spread over the duration from commencement to commissioning of the project, with the last installment payable at least 6 months before the commissioning the Project. The details of amount deposited should be filled in prescribed proforma and sent to this office for confirmation.
v. The user agency shall fulfil all the conditions mentioned by the Chief Wildlife Warden (CWLW) in his letter dated 17.12.2011 including payment of cost of a special study to be awarded on the impacts of HEP on wildlife.
vi. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय/पूर्वऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे ।
vii. सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे क्रम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये ।
viii. प्रयोक्ता एजेंसी तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी । वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है ।
ix मलबे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुश्ता-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गढ्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा । इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा ।

127

x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
xi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है । राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय्

Sd/-
(ए० के० गोयल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

28/3/13
(Surendra Kumar)
Director (S)
(Approved for issue)

प्रतिलिपिः-

1 अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार , वन विभाग, टालैंड, शिमला ।
3. Divisional Forest Officer, Sarahan Wildlife Division , Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
4. M/s Ramesh Hydro Power Pvt. Ltd, Plot No. 107, Prashanthi Pagar, Near I.E. Kukatpally, Hyderabad-500072 (Andhra Pradesh)
5. गार्ड फाईल ।

127